मुख्यमंत्री मेधावी वदि्यार्थी योजना में संशोधन

चर्चा में क्यों?

- 18 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा 'मुख्यमंत्री मेधावी वदि्यार्थी योजना' में संशोधन आदेश जारी कयिा गया। बीपीएल कार्डधारी अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति वर्ग के वदि्यार्थी, जनिके पिता/पालक की आय 8 लाख रुपए तक हो, को इस योजना का लाभ मलि सकेगा।

प्रमुख बदि्

- आदेशानुसार ऐसे वदि्यार्थी, जनिके पिता/पालक की आय 8 लाख रुपए से कम हो, वे योजना के लयि पात्र होंगे, परंतु ऐसे वदि्यार्थी जनिके पिता/पालक की वार्षकि आय 8 लाख रुपए तक है तथा वह बीपीएल कार्डधारी, अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति वर्ग के वदि्यार्थी हैं तथा कंडकिा क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखति शर्तों के कारण योजना में सम्मलिति नहीं हो पा रहे हों, को वशिष प्रकरण मानते हुए इनके संबंध में वभिागीय समन्वय में सक्षम अधकिारी के अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मलिति कर सकेंगे।
- ऐसे वदि्यार्थियों, जन्हिें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के बाद यथानर्दिष्टि शर्तों के अधीन आय की सीमा 8, लाख रुपए से अधकि होने पर भी पाठ्यक्रम के पूरण होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी। यह संशोधन शैक्षणकि सत्र 2023-24 से लागू होगा

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/amendment-in-mukhyamantri-medhavi-vidyarthi-yojana